


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक पाली
:-कार्यालय आदेश :-

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रडावास (मारवाड जंक्शन) के पत्रांक 366 दिनांक 21.05.2021 एवं रजिस्ट्रार-राजकीय चिकित्सालय सोजत जिला पाली द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री डूंगाराम जन्म तिथि 05.07.1982 पदनाम अध्यापक पदस्थापन स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रडावास (मारवाड जंक्शन) जिला पाली का निधन दिनांक 19.05.2021 को हो जाने के फलस्वरूप इनका नाम राजकीय सेवाओं से पृथक किया जाकर दिनांक 19.05.2021 से इनकी सेवाएं समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित स्वर्गीय श्री राजेन्द्र कुमार के विरुद्ध आज दिनांक तक-


1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम - 1958 के नियम - 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम - 1958 के नियम - 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

www.rajteachers.com


(जगदीश चन्द्र राजौड़)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक पाली

क्रमांक :- जिशिअ/मु.मा/पाली/संस्था-1/ए/2021/ 2034 दिनांक :- 24.05.2021
प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज जोधपुर।
2. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मारवाड जंक्शन।
3. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रडावास (मारवाड जंक्शन)।
4. आश्रित/उतराधिकारी स्व० श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि मृतक राज्य कर्मचारी के परिवार से अनुकम्पा नियुक्ति के लिए किसी पात्र व्यस्क सदस्य का आवेदन इस कार्यालय को राज्य कर्मचारी के निधन के पश्चात की 90 दिवस की समय-सीमा के भीतर इस कार्यालय को प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।
5. रक्षक पंजिका।


जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक पाली

ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାରୀ (ପ୍ରୟୋଗୀ) ଉପାଧିକାରୀଙ୍କ ପଦାଧିକାରୀ

୧-ସମ୍ପର୍କିତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ :

ଏହି ପଦାଧିକାରୀ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାମନାମା / ପୁ.ପା. / ଗ୍ରାମୀ / ସମ୍ପା. ୧/୧/୨୦୨୧/୨୦୨୧ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମନାମା ଉପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦାଧିକାରୀ (ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ) ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମନାମା ।

ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ପଦାଧିକାରୀ (ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ) ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମନାମା ଉପରେ (ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ) ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମନାମା ।


(ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ)

ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକାରୀ

- ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ / ପୁ.ପା. / ଗ୍ରାମୀ / ସମ୍ପା. ୧/୧/୨୦୨୧/୨୦୨୧ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମନାମା
୧. ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମନାମା ଉପରେ (ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ) ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମନାମା ।
 ୨. ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମନାମା ଉପରେ (ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ) ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମନାମା ।
 ୩. ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମନାମା ଉପରେ (ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ) ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମନାମା ।
 ୪. ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମନାମା ।



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक पाली

--: आदेश :-


श्रीमती नन्दा जोशी, अध्यापिका महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अग्रंजी माध्यम) खैरवा, पं.स. पाली, जिला-पाली जिनकी जन्मतिथि-01.07.1969 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 14.02.1994 हैं।

श्रीमती नन्दा जोशी, अध्यापिका महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अग्रंजी माध्यम) खैरवा, पं.स. पाली, जिला-पाली द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम 50(1) एवं 51 के प्रावधानानुसार 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने के उपरान्त स्वयं की प्रार्थना पर रवैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु आवेदन किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत दिनांक 01.08.2021 से रवैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नन्दा जोशी के विरुद्ध आज दिनांक तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16/17 के अधीन कोई विभागीय जांच विचारार्थीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचारार्थीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचारार्थीन/लम्बित नहीं है।


www.rajteachers.com


(ज्योतीश चन्द्र सार्दा)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक पाली

क्रमांक: जिशिअ/मुमा/संस्था-1/ए/रवै. सेनि./2021-22/2023 दिनांक: 24.05.2021

प्रतिनिधि निर्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज. जोधपुर।
2. संबंधित मुख्य वर्क अधिकारी पाली।
3. राध्याप्रधान,महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अग्रंजी माध्यम) खैरवा, पं.स. पाली, जिला-पाली।
4. संबंधित कार्यांक।
5. उभक पीठका।


जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक पाली

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक पाली

:-कार्यालय आदेश :-


राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टेवाली (पाली) के पत्रांक 16 दिनांक 21.05.2021 एवं रजिस्ट्रार-पाली जिला पाली द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री चूनाराम पुत्र श्री हंसाराम जन्म तिथि 21.07.1968 पदनाम अध्यापक पदस्थापन स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टेवाली (पाली) जिला पाली का निधन दिनांक 04.05.2021 को हो जाने के फलस्वरूप इनका नाम राजकीय सेवाओं से पृथक किया जाकर दिनांक 04.05.2021 से इनकी सेवाएं समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित स्वर्गीय श्री चूनाराम के विरुद्ध आज दिनांक

तक-


1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम - 1958 के नियम - 16 के अधीन कोई विभागीय जॉब विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम - 1958 के नियम - 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

www.rajteachers.com


(जगदीश चन्द्र राठौड़)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक पाली

क्रमांक :- जिशिअ/मु.मा/पाली/संस्था-1/ए/2021/ 2035 दिनांक :- 24.05.2021
प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान संयुक्त निदेशक,पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज जोधपुर।
2. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पाली।
3. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टेवाली (पाली)।
4. आश्रित/उत्तराधिकारी स्व0 श्री चूनाराम द्वारा संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि मृतक राज्य कर्मचारी के परिवार से अनुकम्पा नियुक्ति के लिए किसी पात्र व्यस्क सदस्य का आवेदन इस कार्यालय को राज्य कर्मचारी के निधन के पश्चात की 90 दिवस की समय-सीमा के भीतर इस कार्यालय को प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।
5. रक्षक पंजिका।


जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक पाली

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक पाठी


:-कार्यालय आदेश :-

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रजवागस (मारवाड जंक्शन) के पत्रांक 366 दिनांक 21.05.2021 एवं रजिस्ट्रार-राजकीय विकिरेसालय सोजत जिला पाली द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री झंगाराम जन्म तिथि 05.07.1962 पदनाम अध्यापक पदस्थापन स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रजवागस (मारवाड जंक्शन) जिला पाली का निधन दिनांक 19.05.2021 को हो जाने के फलस्वरूप इनका नाम राजकीय सेवाओं से पृथक किया जाकर दिनांक 19.05.2021 से इनकी सेवाएं समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित स्वर्गीय श्री राजेन्द्र कुमार के विरुद्ध आज दिनांक तक-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अभील) नियम - 1958 के नियम - 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचारार्थीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अभील) नियम - 1958 के नियम - 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचारार्थीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचारार्थीन/लम्बित नहीं है।


www.rajteachers.com


(जगदीश चन्द सलवे)
जिला शिक्षा अधिकारी

क्रमांक :- जिशिश/मु.मा/पाली/संस्था-1/ए/2021/ 2024 दिनांक :- 24.05.2021

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान संयुक्त निदेशक,पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज जोधपुर।
2. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मारवाड जंक्शन।
3. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रजवागस (मारवाड जंक्शन)।
4. आश्रित/उत्तराधिकारी स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा संस्था प्रधान को प्रेषित कर लेख है कि मृतक राज्य कर्मचारी के परिवार से अनुकम्पा नियुक्ति के लिए किसी पात्र व्यक्त सदस्य का आवेदन इस कार्यालय को राज्य कर्मचारी के निधन के पश्चात की 90 दिवस की समय-सीमा के भीतर इस कार्यालय को प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।
5. रक्षक पंजिका।


जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक पाठी


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक पाली

:-संशोधित कार्यालय आदेश :-

इस कार्यालय के पूर्व आदेशांक जिशिक्ष/मु.मा/पाली/संस्था-1/ए/2021/2021 दिनांक 11.05.2021 द्वारा सेवा समाप्ति आदेश में कार्मिक का पदस्थापन राजमावि धुम्बला (सोजत) जिला-पाली अंकित किया गया था।

पदस्थापन राजमावि धुम्बला (सोजत) जिला-पाली के स्थान पर राजमावि धुम्बला (मारवाड़ जयन्त) जिला-पाली पढा जावें।


आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।


(उमदास) चन्द्र सलोड)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक पाली

क्रमांक :- जिशिक्ष/मु.मा/पाली/संस्था-1/ए/2021/2032 दिनांक :- 24.05.2021

1. श्रीमान संयुक्त निदेशक,पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज जोधपुर।
2. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मारवाड़ जंक्शन।
3. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धुम्बला (मारवाड़ जंक्शन)।
4. रक्षक पत्रिका।

www.rajteachers.com


जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक पाली